Polity (राज्य व्यवस्था)

⇓

राज्य + व्यवस्था

Q. [Polis] ग्रीक राज्य - (कहते थे)

Q. [रेस पब्लिका] ⇒ रोमन राज्य - (कहते थे)

[राज्य] [State] [state] [मैकेयावली]

State/राज्य :- [परिभाषा]

- → जनसंख्या (Population)
- → सरकार (Government)
- → भू-भाग (Territory)
- → संप्रभुता (Soverignity)

- → भौतिक आधार (Physical Element)
- → आध्यात्मिक आधार (Spritual Element)

Q. Monte Video Convention (मानटेविडियो कॉनवेशन) - [1933]

Q. संप्रभुता :- स्वयं का प्रभु (Soverign State)

व्यवस्था :-

→ नियम (Rules)

* किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है।

* मौलिक नियमों को ही संविधान कहते हैं।

[संविधान] Constitution

लैटिन शब्द से निकला है संविधान शब्द।

[प्रकार]:-

→ लिखित संविधान (codified)
→ अलिखित संविधान (Un-codified)

* लिखित संविधान	* अलिखित संविधान
अमेरिका	ब्रिटेन
भारत	कनाडा
रूस	सऊदी अरब
	न्यूजीलैंड
	इजराइल

* नया संविधान	* पुराना संविधान
Cuba (April 2019)	USA (1789)

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

* **सबसे छोटा संविधान**

⇒ USA - (Article-7)
(1,17,369 शब्द)
(अनुच्छेद के आधार पर)

⇒ Monaco (Article-97)
(3814 शब्द)
(शब्दों के आधार पर)

* **सबसे बड़ा संविधान**

भारत - (Article-395)
(1,46,385 शब्द)

[विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान
Smallest Constitution of the Democracy] → Nauru (country in Oceania)

सुकरात (Socrates) — संवाद
↓
(एथेंस) The Academy प्लेटो (Plato) → The Republic (पुस्तक के लेखक)
↓
Father of Pol. Science - अरस्तु (Aristotle) The Politics (पुस्तक के लेखक)
↓
सिकंदर (Alexander)

:- भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन :-

British East India Company - [1599] - Merchant Adventures (मर्चेन्ट ऑफ एडवेंचर्स)
↓
(15 वर्ष चार्टर दिया) ← [31 Dec, 1600] → एलिजाबेथ
↓
(अनिश्चित काल) ← [1609] → जेम्स - I

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

प्लासी का युद्ध - 23 June, 1757 (सिराजुद्दौला - रार्बट क्लाइव)

बक्सर का युद्ध - 22 Oct, 1764 (मीरकासिम + सुजाउद्दौला + शाह आलम - II - हेक्टर मुनरो)

बंगाल का द्वैद शासन - 1765 - 1772 - रार्बट क्लाइव

- दिवानी (Revenue) (कंपनी)
- निजामत शासन (Governance) (राजा)

व्यवस्था - कानून

कंपनी का शासन (Company Rule) (1773-1857)

* 1773 - Regulating Act.
* 1784 - Pits India Act.
* 1793 - Charter Act.
* 1813 - "
* 1833 - "
* 1853 - "

क्राउन का शासन (Crown Rule) (1858-1947)

* 1858
* 1861
* 1892
* 1909
* 1919
* 1935
* 1947

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

(नियम)
↓
स्वराज ← **संविधान सभा (Constituent Assembly)**

* विश्व की प्रथम संविधान सभा - 1787, USA (फिलाडेलफिया)
* फ्रांस की संविधान सभा - 1789. (National Assembly of France) - फ्रांस की संविधान सभा का नाम
* विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया - हेनरी मेन, (इंग्लैंड)

भारत की संविधान सभा

1895 - बालगंगाधर तिलक (स्वराज विधेयक) अनौपचारिक।

1918 - कांग्रेस अधिवेशन (Self fexpression) की मांग!

1919 Act - [अस्वीकार] - संविधान (British Parliament संसद)

1922 - महात्मा गाँधी (Young India Magzine)

1924 - मोती लाल नेहरू (बम्बई अधिवेशन) संविधान सभा की मांग

1934 - मानवेन्द्र नाथ रॉय (साम्यवादी नेता)
(जेल से संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की) (Official Demand)

1934 - कांग्रेस कार्यकारीणि समिति (Congress Working Committe.).

जवाहर लाल नेहरू :-

1938 – औपचारिक मांग (Official Demand)
न्यू हैराल्ड (Newherald) Newspaper में मांग की।
व्यस्क मताधिकार (Adult Franchise).

संविधान सभा की पहली मांग – 1895 – बालगंगाधर तिलक
,, ,, ,, औपचारिक मांग – 1934 – M.N. Roy
,, ,, ,, अनौपचारिक मांग – 1895 – बालगंगाधर तिलक

1940 – 8 Aug – भारत की संविधान सभा
↓ युद्ध के बाद
[Cripp's offer / क्रिप्स प्रस्ताव] Draft declaration of War Cabinet.
↓
1942

ब्रिटेन का Election (1945)

- Conservative Party (कंजरवेटिव पार्टी) (विस्टन चर्चिल)
- Labour Party (लेबर पार्टी) (क्लीमेंट एटली)

* Cabinet Mission (कैबिनेट मिशन प्लान) – 24 March 1946 –
– (क्लीमेंट एटली ने भेजा)

Cabinet Mission
- P – Pethic Lawarance (पैथिक लारेंज) – भारत मंत्री
- A – A.V. Alexander (ए.वी. एलेक्जेंडर) – नेवी मंत्री
- S – Stafford Cripps (स्टेफोर्ड क्रिप्स) – व्यापार मंत्री

घोषणा

↓

16 May, 1946

→ संविधान सभा
Constituent Assembly

→ अंतरिम सरकार
Interim Government

संविधान सभा

* ब्रिटिश प्रांत (British Proviance).
* राजा रजवाड़े (Princlly state).
* कमिश्नरी (Commisionary).

भारत की संविधान सभा का निर्माण
Making of Indian Constituent Assembly.

↓

389

- 292 - British Proviance (ब्रिटिश प्रांत)
- 93 - Princllystate. (राजा रजवाड़े)

\+

4 - कमिश्नरी (Commisionary)
- → A - अजमेर (Ajmer)
- → B - बलुचिस्तान (Baleuchistan)
- → C - कुर्ग (coorg)
- → D - दिल्ली (Delhi

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

389

- 296
  - \+ 4
  - 296 - Elected (निर्वाचित)
- 93
  - मनोनित (Nominated)

चुनाव

- अप्रत्यक्ष (Indirect)

* संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था!

* प्रांतीय ~~चुनाव~~ विधान सभा के 1585 सदस्यों ने संविधान सभा 296 सदस्यों को निर्वाचित किया था!

Q. बिहार से कितनी महिला थी? (संविधान सभा में).

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

संविधान सभा में सीटों की संख्या :-

सामान्य (General) → 213
मुस्लिम (Muslims) → 79
सिख (Sikh) → 04
महिला (Female) → 15
SC → 26
ST → 33

389
- 296 - निर्वाचित
- 93 - मनोनित

296 (निर्वाचित) ↓ परिणाम ↓

कॉंग्रेस → 208
मुस्लिम लीग → 73
यूनियनिस्ट पार्टी → 01
कृषक कृजा पार्टी → 01
मुस्लिम पार्टी → 01
अनुसूचित पार्टी → 01
सिडियूल कास्ट फेडरेशन → 01
सिख समुदाय → 01
साम्यवादी दल → 01
निर्दलीय → 08

KHAN GLOBAL STUDIES

* संविधान सभा में एक मात्र साम्यवादी नेता थे → सोमनाथ लाहिड़ी
* संविधान सभा ही कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस ही संविधान सभा है (कहा) → G. Austin.
* संविधान सभा के एकमात्र पारसी नेता थे → पी० एच० मोदी

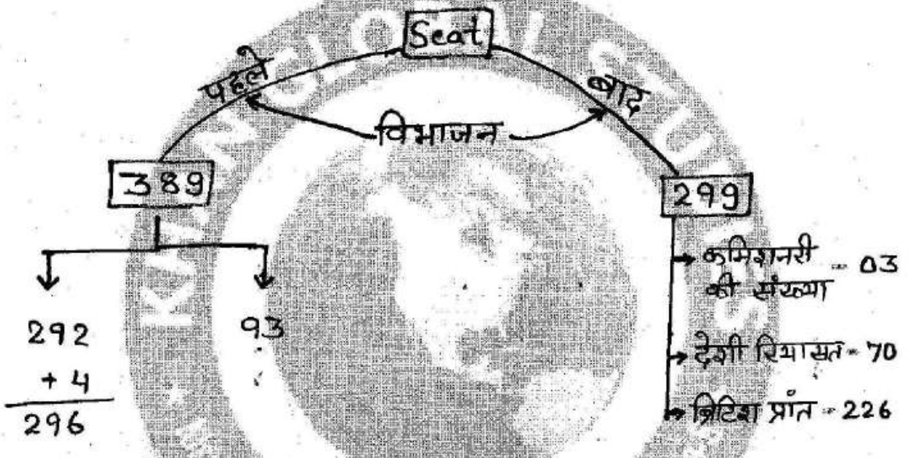

संविधान सभा में महिला

- → कुल संख्या → 15
- → प्रथम बैठक में कुल संख्या → 10
- → अंतिम बैठक में कुल संख्या → 08

* एक मात्र मुस्लिम महिला → बेगम इजाज रसूल, (उत्तर प्रदेश)
* देशी रियासत में एक मात्र महिला → एनी मस्करीनी (त्रावणकोर)
* एक मात्र SC महिला → दक्षायनी वेलायुधन (मद्रास)
* अंतिम रूप से कितनी महिला ने हस्ताक्षर की → 08

अंतरिम सरकार

* गठन → 02 Sept, 1946
* अध्यक्ष → वेवल
* उपाध्यक्ष → जवाहर लाल नेहरू
* 15 सदस्यों का मंत्रीमंडल

⇒ एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहे थे → Dr. Ambedkar

⇒ संविधान सभा की बैठक → 167

⇒ " " " सत्र → 12.

⇒ प्रथम बैठक → 09 Dec, 1946 → केन्द्रिय सभा, Central Hall, Delhi. (11 AM)

⇒ प्रथम बैठक में कुल सदस्य → 207

⇒ " सत्र " " " → 211

प्रथम सत्र :- 09 Dec, 1946

कुल बैठक → 11, 09 Dec, 207.

प्रथम बैठक का आमंत्रण दिया → एच. वी. आयंगर.
(संविधान सभा के सचिव)

संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष → सच्चिदानंद सिन्हा (Oldest Member)

[फ्रांस की संविधान से प्रेरणा लेकर जे. बी. कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिया]

द्विसदनीय विधायिका → 1919 → फ्रेडरिक व्हाइट (प्रथम अध्यक्ष)
सच्चिदानंद सिन्हा (उपाध्यक्ष)

[संविधान सभा की प्रथम बैठक को शोक बैठक कहा जाता था
प्रसन्न देव रेकुट (बंगाल) मृत्यु हो गई थी।]

प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष → फ्रैंक एंथोनी - मनोनित (प्रथम)
प्रथम ,, ,, ,, → 25 Jan 1947 → H.C. मुखर्जी - निर्वाचित (प्रथम)

11 Dec 1946
⇓
अध्यक्ष → संविधान सभा के अध्यक्ष → डा॰ राजेन्द्र प्रसाद

संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष → सच्चिदानंद सिन्हा
,, ,, ,, स्थायी ,, → डा॰ राजेन्द्र प्रसाद
,, ,, ,, उपाध्यक्ष (मनोनित) → फ्रैंक एंथोनी
,, ,, ,, ,, (निर्वाचित) → H.C. मुखर्जी
,, ,, ,, सलाहकार → B.N. RaO (बेनेगल नरसिंह राव)

13 Dec 1946 → उद्देश्य प्रस्ताव (objective Resolution)

→ 8 Points
→ पंडित जवाहर लाल नेहरु ने पेश किया
→ 22 Jan 1947, को संविधान सभा ने स्वीकार किया।

संविधान सभा की समितियाँ

↓

प्रारूप समिति (Drafting समिति)

→ गठन → 29 Aug, 1947

→ अध्यक्ष → 1. Dr. B.R. Ambedkar
2. एन गोपाल स्वामी आयंगर
3. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर
4. के० एम० मुंशी (एक मात्र कॉंग्रेस)
5. सैयद मो० सादुल्ला (एक मात्र मुस्लिम)
एन० माधव राव ← 6. बी० एल मित्र (त्यागपत्र)
T. T. कृष्णमाचारी ← 7. डी० पी० खेतान (मृत्यु)

प्रारूप संविधान समीक्षा समिति (पूरा नाम प्रारूप समिति का)

→ अपना पहला प्रारूप पेश किया → 21 Feb, 1948

→ संविधान का प्रारूप बनाया → 1947, बी० एन० राव (स्वीकार नहीं किया गया)

बड़ी समितियाँ	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	→ जवाहर लाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	→ जवाहर लाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	→ सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति	→ Dr. B.R. Ambedkar
मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श	→ सरदार पटेल
मूल अधिकार उप-समिति	→ जे० बी० कृपलानी
अल्पसंख्यक उप-समिति	→ H.C. मुखर्जी
प्रक्रिया नियम समिति	→ Dr. राजेन्द्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति (राज्यों से समझौता करने वाली)	→ जवाहर लाल नेहरू
संचालन समिति	→ डा० राजेन्द्र प्रसाद

छोटी समितियाँ	अध्यक्ष
संविधान सभा के कार्य संचालन समिति	→ जी० वी० मावलंकर (गणेश वासुदेव मावलंकर)
कार्य संबंधी समिति	→ डा० के० एम० मुंशी (डा० कन्हैया लाल मुंशी)
सदन समिति	→ पट्टाभि सीतारमैया
राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	→ डा० राजेन्द्र प्रसाद

संविधान के वाचन (Reading)

प्रथम वाचन	द्वितीय वाचन	तृतीय वाचन
04 Nov 1948 से 09 Nov 1948	15 Nov 1948 से 17 Oct 1949	14 Nov 1949 से 26 Nov 1949.
(सबसे छोटा)	(सबसे बड़ा) "11 महिना"	(अंतिम वाचन)

→ 26 Nov 1949 → अंगीकार (Adopted)

→ 24 Jan 1950 → राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत → स्वीकार
राष्ट्रपति बने → डा॰ राजेन्द्र प्रसाद

→ 26 Jan 1950 → संविधान को लागू किया (Executed)

→ 26 Nov 1949 → संविधान का अंतिम वाचन
संविधान अंगीकार हुआ
आंशिक रूप से लागू (16-अनुच्छेद)
अनुच्छेद :- 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394.

→ 26 Jan 1950 → पूर्ण संविधान लागू किया (Executed)

→ भारत के संविधान मे अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए → 284 सदस्य

→ संविधान सभा की अंतिम बैठक → 24 Jan, 1950

→ झंडा स्वीकार किया गया → 22 July, 1947.

→ संविधान बनाने में समय लगा → 2 वर्ष 11 महिना 18 दिन
(9 Dec 1946 – 26 Nov 1949)

→ संविधान बनने से लेकर लागू करने मे समय लगा → 3 वर्ष 1 माह 16 दिन
(09 Dec 1946 – 26 Jan 1950)

→ संविधान बनाने में खर्च लगा → 63, 96, 729 ₹
(63 लाख 96 हजार 729 ₹)

→ संविधान की मूल प्रति → 1. English
2. Hindi

→ संविधान को हाथ से लिखा → प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
मधुबनी, बिहार
(शांति निकेतन से पढ़े)
लिखने मे समय → 6 महिना
Page संख्या → 251
शब्द संख्या → 1, 17, 369
वजन → 3.75 kg.

→ संविधान की सजावट की → नंदलाल बोस
(शांति निकेतन से थे).

भारत का संविधान

भाग (Parts)	अनुच्छेद (Article)	अनुसूचियाँ (Schedule)
22	395	8 (List)
25 (वर्त्तमान)		12 (वर्त्तमान)

विश्व का सबसे बड़ा संविधान

भारत	कनाडा	आस्ट्रेलिया	द० अफ्रीका	USA
395 Art.	147 Art.	128 Art.	253 Art.	07 Art.

विशेषता :-

→ सबसे लंबा
→ संसदीय प्रकार की व्यवस्था
→ संघीय प्रणाली
→ आपातकाल
→ एकल नागरिकता
→ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार
→ मौलिक अधिकार

प्रस्तावना (Preamble)

परिचय (Introduction)

- संविधान की आत्मा (कहा) → ठाकुर दास भार्गव
- संविधान का परिचय पत्र (कहा) → एन॰ के॰ पालकीवाला
- राजनीतिक जन्मपत्री / कुंडली (कहा) → के॰ एम॰ ~~मुंशी~~ मुंशी

प्रस्तावना

- विचार (Thought) — अमेरिका (USA)
- आधार (Base) — उद्देश्य प्रस्ताव, 13 Dec, 1946 (J.L. Nehru)
- भाषा (Language) — Australia.

[We the people of India
हम भारत के लोग ....]

- संप्रभु (Sovereign)
- समाजवादी (socialist)
- पंथ निरपेक्ष (secular)
- लोकतांत्रिक (Democratic)
- गणराज्य (Republic)

→ न्याय (Justice)
- सामाजिक न्याय
- आर्थिक न्याय
- राजनीतिक न्याय

→ स्वतंत्रता Liberty
- विचार (Thought)
- अभिव्यक्ति (Expression)
- विश्वास (Believe)
- धर्म (Faith)
- उपासना (Worship)

→ समानता (Equality)
- प्रतिष्ठा (Status)
- अवसर (opportunity)

संप्रभु :-

अर्थ :- स्वयं का प्रभु

कोई देश जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले सके उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं।

→ आंतरिक संप्रभुता
→ बाहरी संप्रभुता
→ नाममात्र की संप्रभुता → राष्ट्रपति (में निवास करती है)
→ वास्तविक संप्रभुता → जनता ,,
→ कानूनी संप्रभुता → संविधान ,,

समाजवादी :-

उदारवाद (Liberlism)	मार्क्सवाद (Marxism)	समाजवाद (Sociolism)	साम्यवाद (Communism)
जनक - जान लॉक → अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं (यूरोप)	जनक - कार्ल मार्क्स (जर्मनी)	जनक - लेनिन → नियंत्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जिसमें उत्पादन के विभिन्न स्रोत सरकार के नियंत्रण होते हैं। → लोकतांत्रिक एवं गाँधीवादी समाजवाद	जनक - माओत्सेतुंग (Maotsetung) (-चीन)

Secular - धर्म निरपेक्ष - पंथ निरपेक्ष

धर्म :-
- → नियमों का समुच्चय है।
- → जिन नियमों को व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए धारण करता है।

→ धर्म निरपेक्षता का अर्थ है "धर्म से अलगाव"

→ भारत में "महात्मा गाँधी" जी ने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया। जिसके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है परन्तु धर्म से नहीं।

NOTE:- भारत में पंथ निरपेक्षता / धर्म निरपेक्षता का अर्थ:-

(i) भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है।

(ii) भारत में राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं है। (X)

(iii) भारत में राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है।

लोकतांत्रिक (Democratic):-

Demo — जनता
Kartia — शासन

→ लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन

→ जनता का सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। (अब्राहम लिंकन)

→ लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है सरकार को चुनने की व्यवस्था और विकल्प।

गणराज्य (Republic) :-

→ जहाँ देश का प्रमुख निर्वाचित हो उसे गणराज्य कहते है
(Head of the Nation is elected is called Republic.)

→ ब्रिटेन में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री निर्वाचित है अत: ब्रिटेन एक लोकतंत्र है जबकि राष्ट्र का प्रमुख "राजा या रानी" वंशानुगत के आधार पर प्रमुख हैं। अत: ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है।

→ भारत गणतंत्र एवं लोकतंत्र दोनों हैं।

न्याय :-

भारत के संविधान में रूस की क्रांति 1917, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय का सिद्धांत लिया गया है।

सामाजिक न्याय :-

→ सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में न्याय की स्थापना करना

→ संविधान में अनुच्छेद - 38, 39A, 41, 42, 46, 47, etc. की सामाजिक न्याय की बात करता है

आर्थिक न्याय :-

संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण अनुच्छेद - 39(b) 39(c) करती है।

राजनीतिक न्याय :-

अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव लड़ने और vote देने का अधिकार राजनीति न्याय की स्थापना करता है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

स्वतंत्रता (Liberity)

प्रस्तावना में स्वतंत्रता पाँच प्रकार की है जबकि अनुच्छेद-19 में स्वतंत्रता 6 प्रकार की हैं।

स्वतंत्रता →
- विचार
- अभिव्यक्ति

] अनुच्छेद-19

- विश्वास
- धर्म
- उपासना

] अनुच्छेद-25, 26, 27, 28.

स्वतंत्रता →
- प्रतिष्ठा [अनुच्छेद-15, 17, 18]
- अवसर [अनुच्छेद-16]

बंधुत्व (भाईचारा) (Fraternity) :-

→ मौलिक कर्तव्य

एकता (Unity) :-

→ देश के लोगों के मध्य सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव की एकता कहते हैं!

अखण्डता (Integrity) :-

देश में भौगोलिक जुड़ाव को अखण्डता है!

प्रस्तावना संविधान का भाग

1960 में बेरूवारी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इंकार कर दिया अत: प्रस्तावना में संसोधन हो सकता है सकता है कि नहीं अत: प्रस्तावना में संसोधन नहीं हो सकता।

"1973 - केशवानंद भारती बनाम भारत संघ"

इस केस वाद में सर्वोच्च न्यायलय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना अतएव 368 के तहत प्रस्तावना में संसोधन किया जाता है परन्तु मूलभूत ढ़ाँचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

1995 - LIC of India वाद/केस

इस वाद केस मे सर्वोच्य न्यायलय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा!

1976 - 42वे संविधान संशोधन के माध्यम से!

- समाजवादी
- पंथ निरपेक्ष
- अखण्डता

] - शब्द जोड़े गए!

[प्रस्तावना] महत्व

- **तिथि**
  - 26 NOV, 1949.
- **प्रकृति**
  - S - संप्रभु
  - S - समाजवादी
  - S - पंथनिरपेक्ष
  - D - लोकतंत्र
  - R - गणराज्य
- **उद्देश्य**
  - न्याय
  - समानता
  - स्वतंत्रता

भाग -1 (Article - 1-4)

संघ और उसके राज्यक्षेत्र
Union & It's territory

Article - 1

India that is Bharat. Union of state.
इंडिया या भारत राज्यों का संघ

Name (नाम) → "India" व "भारत"

Nature (प्रकृति) → राज्यों का संघ है।

Area (क्षेत्र)

Union संघ	Federation संघ	Confredation परिसंघ
→ इस में केन्द्र से शक्ति विभाजन आधार पर संघ से विभिन्न राज्यों का निर्माण होता है जिसे संघ कहते है!	→ विभिन्न छोटे राज्य आपस मे मिलकर एक संधि के माध्यम से एक संघ का निर्माण करते है उसे संघ कहते है!	→ विभिन्न राष्ट्र/देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते है जिसे परिसंघ कहते है!
→ इसमें राज्यों को संघ कभी से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता!	→ संघ से राज्य अलग होने का अधिकार रखते है!	→ ये राष्ट्र परिसंघ से अलग होने का अधिकार रखते है!
→ यह अखण्डता पर आधारित होता है!	→ जैसे :- USA (50 राज्य)	→ जैसे :- यूरोपियन यूनियन, बेलजियम
→ जैसे :- इंडिया, कनाडा!		

* **क्षेत्र :-**

→ राज्यों के राज्यक्षेत्र (States)

→ संघ राज्य क्षेत्र (Union Territory)

→ अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र (Acquired).

Article - 2

[Admission and Establishment of New states.
भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना]

भारत की बाहरी सीमा में किसी नए-राज्य का प्रवेश और स्थापना जो राज्य भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं।

जैसे :- 35 वें० संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को सह-राज्य (Associate) बनाया गया।

36 वें० संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम भारत का 22nd वा० राज्य बना।

इस प्रकार दमन द्विप गोवा यमन पुडुच्चेरी इत्यादि भारत के भाग बनें।

Article - 3

भारत की सीमा के अंतर्गत नए-राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन।

→ किसी राज्य का क्षेत्र कम करना! (Decrease) ↓↓
→ किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा देना! (Increase) ↑↑
→ दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना! (Merging of two states)

→ किसी राज्य का नाम में परिवर्तन (change the Name of state)

जैसे:-

छत्तीसगढ़ - 01 Nov, 2000 -	मध्यप्रदेश	से अलग
उतराखंड - 01 Nov, 2000 -	उत्तर प्रदेश	
झारखंड - 15 NOV, 2000 -	बिहार	
तेलंगाना - 02 June, 2014 -	आंध्र प्रदेश	

→ अनुच्छेद-3 के अंतर्गत नाम क्षेत्र में परिवर्तन संसद के द्वारा साधारण बहुमत से कि जाते हैं।

→ ऐसे अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं।

→ राज्य विधान मंडल के पास भेजे जाते हैं (भेजना आवश्यक है) परन्तु राज्य विधान मंडल का निर्णय और सहमति आवश्यक नहीं है अतः संसद अपनी इच्छा से राज्य का नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।

Article - 4

अनुच्छेद-2 और अनुच्छेद-3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं इनके लिए अनुच्छेद-368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती हैं।

बेरूबाड़ी वाद (1960) :-

भारत - पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुई संधि के तहत भारत की कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपना था जिसका मामला Supreme Court मे गया।
Supreme Court ने निर्णय दिया की भारत संघ क्षेत्र का कोई हिस्सा दूसरे राष्ट्र को संविधान संसोधन के माध्यम से ही सौंपा जा सकता है।

जैसे :- 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से (1960) पाकिस्तान को बेरूबारी क्षेत्र दिया गया।

100वें संविधान संशोधन (2015) से भारत - बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ।

भारत में राज्यों का निर्माण :

552 में से 549 भारत का भाग बन गई जबकि :-

जूनागढ़ - 1948 - जनमत संग्रह
हैदराबाद - 1948 - ऑपरेशन पोलो
J&K - 1947 - विलय पत्र के हस्ताक्षर

के माध्यम से भारत का हिस्सा बनीं।

भारत में आजादी के बाद राज्यों के 04 श्रेणी थीं !

भाग-क में राज्य	भाग-ख में राज्य	भाग-ग में राज्य	भाग-घ में राज्य
→ ब्रिटिश प्रांत जहाँ गवर्नर का शासन था	→ देसी रियासतें	→ कमिश्नरी	→ अंडमान निकोबार एवं अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र
→ संख्या - 09	→ संख्या - 09	→ संख्या - 10	→ संख्या - 02
जैसे - बिहार, संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश)	जैसे - हैदराबाद, मैसूर !	जैसे - कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश !	

S.K. धर आयोग :-

इलाहाबाद 'High Court' के न्यायधीश 'S.K.' की अध्यक्षता में वर्ष "June 1948" में 'धर आयोग' का गठन किया गया ! आयोग ने Dec 1948 में अपनी Report सौंपी !

Report :-

→ भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन को नकार दिया !

→ प्रशासन के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन की अनुशंसा की !

J.V.P समिति (committe)

गठन - Dec 1948

Report - April 1949

इस समिति ने भारत में भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन नहीं होगा!

NOTE :-

→ इस समिति के Report के बाद आंध्र प्रदेश के आस-पास क्षेत्र तेलगू भाषा के आधार पर राज्य की मांग अत्यधिक हो गई!

→ कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 Dec 1952 को मृत्यु हो गई!

→ सरकार ने 01 Oct 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन तेलगू भाषा के आधार पर किया!

फजल अली आयोग (1953)

→ फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया जिसमें तीन सदस्य थें।

सदस्य :- 1. फजल अली

2. के० एम० पणिक्कर

3. हृदय नाथ कुँजरू

इस आयोग ने 2 वर्ष के ~~अध्ययन~~ गहन अध्यन के बाद 1995 में अपनी Report सौंपी।

Report :-

→ भाषायी आधार पर राज्यों का पुर्नगठन तार्किक और व्यवहारिक नहीं है अत: एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार किया।

→ प्रशासन के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन की अनुशंसा की।

राज्य पुर्नगठन अधिनियम (1956)

सरकार ने A, B, C, D श्रेणी को खत्म करके 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश की स्थापना की।

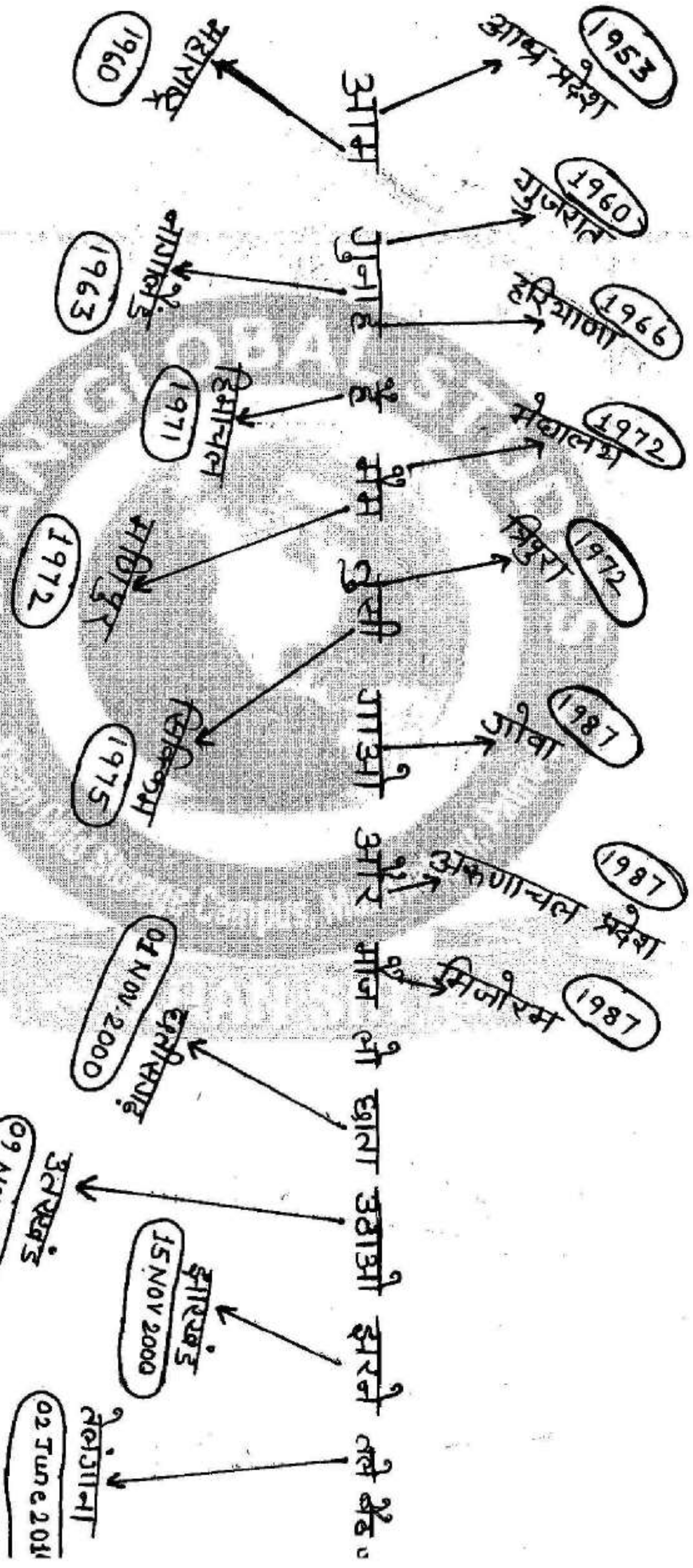
आम गुनाह है मेम तुसी गाओ और मौज लो छाता उठाओ झरने तले बैठ।
आन्ध्र प्रदेश 1953
महाराष्ट्र 1960
गुजरात 1960
नागालैंड 1963
हरियाणा 1966
हिमाचल 1971
मेघालय 1972
मणिपुर 1972
त्रिपुरा 1972
सिक्किम 1975
गोवा 1987
अरुणाचल प्रदेश 1987
मिजोरम 1987
छत्तीसगढ़ 01 NOV 2000
उत्तराखंड 09 Nov 2000
झारखंड 15 NOV 2000
तेलंगाना 02 June 201

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

भाग -2 (Article-5-11)

नागरिकता
Citizenship

नागरिक :-

नागरिक का अर्थ उन देश के निवासियों से है जिन्हें राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं।

विश्व में राजनीतिक प्राणी चार प्रकार के होते हैं।

(i) नागरिक
(ii) विदेशी
(iii) शरणार्थी
(iv) राज्य विहिन

नागरिक

26 Jan 1950
के संबंध में अनुच्छेद
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
↓
वर्तमान

1955 Act
वर्तमान
1966, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019

Article - 5

26 Jan 1950 को भारत का नागरिक कौन थे?

→ जिसके पास भारत का मूल निवास हैं।

→ जिसका जन्म भारत में हुआ हो

→ जिसके माता-पिता दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो या भारत का नागरिक हो।

→ संविधान लागू होने से 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो।

* **D.P. Joshi Vs मध्य भारत (1955)**

मूल निवास का अर्थ होता है भारत का मूल निवास न किसी राज्य का।

Article - 6

पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान।

→ जो व्यक्ति 19 July 1948 के पहले भारत आया यदि उसके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, भारत के नागरिक हैं तो उसे स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी।

→ जो व्यक्ति 19 July 1948 के बाद भारत आया है और

1. उसके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, भारतीय हों!

2. भारत मे परमिट प्राप्त करने के बाद 6 महिनें निवास करें।

Article - 7

भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों में प्रावधान!

→ यदि कोई व्यक्ति 01 March 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान गया है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी!

→ यदि 01 March 1947 के बाद गया है और यदि 19 July 1948 से पहले आ गया है तो उसे भारत की नागरिकता सामन्यत: मिल जाएगी!

→ यदि वह 19 July 1948 के बाद आया तो परमिट नियम के तहत 6 महिना निवास करने पर भारत की नागरिकता प्राप्त होगी!

Article - 8

→ भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

→ यदि उस व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, भारत के नागरिक हैं।

Article - 9

→ यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

Article - 10

→ नागरिकता के अधिकारों को संसद के संसोधन करने तक बना रहना अर्थात अनुच्छेद - 5, 6, 7, 8, 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे।

Article - 11

→ नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है अतः राज्य सरकार या विधान मंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता।

→ संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके नागरिकता संसोधन अधिनियम 1955 का निर्माण किया!

→ नागरिकता संसोधन 1955 में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संसोधित किया गया!

* नागरिकता ग्रहण करने के पाँच तरीकें! (1955 के अधिनियम)

1. जन्म से (By Birth)
2. वंश से (By Descent)
3. पंजीकरण से (By Registration)
4. देशीकरण (By Naturalisation)
5. किसी भू-भाग के भारत मिलाकर (By Incoporating Any Land Area)

जन्म से :-

→ यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसके माता - पिता मे से कोई एक भारतीय हों (1986 संसोधन अधिनियम) और दूसरा अवैध्य प्रवासी ना हो (2003 संसोधन अधिनियम).

वंश से :-

→ किसी व्यक्ति का जन्म यदि भारत से बाहर हुआ हो और उसके माता या पिता भारतीय हो! (1992 का संसोधन)

→ जन्म के 01 वर्ष के अंदर भारतीय नागरिकता अधिकारी से पंजीकरण अवश्य कराया हो !

पंजीकरण :-

→ कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है यदि 6+1 = 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो !

देशीकरण :-

→ भारत की 8वीं अनुसूची किसी भाषा का ज्ञाता हो !

→ विज्ञान कला साहित्य में अच्छा !

→ 10 वर्ष से निवास कर रहा हो !

→ अच्छे चरित्र का हो !

→ किसी ऐसे देश का निवासी न हो जहाँ के नागरिकों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने पर रोक हो !

किसी भू-भाग को भारत में मिलाकर :-

→ यदि किसी भू-भाग को भारत में मिलाया जाता है तो उस भू-भाग पर निवास करने वाले लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं परन्तु ऐसा करना भारत सरकार पर निर्भर करता है !

जैसे :- सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, इत्यादि !

भारत में नागरिकता की विशेषता :-

भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है अत: भारत में केन्द्र और राज्य की एक नागरिकता है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें

Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें

Candidate should not write in this margin

1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम

- → परित्याग (Renunciation)
- → खत्म करना (Termination)
- → वंचित करना (Deprivation)

परित्याग :-

यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसे परित्याग कहते हैं।

खत्म करना :-

यदि कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त/खत्म कर दी जाती है।

वंचित करना :-

→ यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा।

→ अगर कोई नागरिक भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहता है बिना किसी भारतीय (Authority) प्राधिकरण को बिना सूचनाएँ दिए।

→ नागरिकता ग्रहण करते समय गलत प्रमाण-पत्र और साक्ष्यों को देने पर।

→ देशद्रोह :- ऐसी घटनाओं में लिप्त होने पर।

2019 नागरिकता संसोधन अधिनियम :-

→ नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 इस अधिनियम के माध्यम् से तीन देश - पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से आने वाले हिन्दु सिख ईसाई जैन बौध पारसी अल्पसंख्यक लोगों के बारे मे प्रावधान करता है !

→ इसके तहत 31 Dec 2014 से पहले आने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी पूछ-ताछ बिना किसी प्रमाण पत्र के भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी !

→ यदि 31 Dec 2014 के बाद उपरोक्त तीन देशों से उपरोक्त धर्म का व्यक्ति यदि भारत आता है उसे 5 वर्ष भारत में निवास करने बाद भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी !

NRI	P.I.O	O.C.I
अप्रवासी भारतीय	भारतीय मूल के लोग	समुद्र पार भारतीय
Non-Residence of India	Person of Indian Origin	Overseas citizen of India.
निवास - विदेश	निवास - विदेश	निवास - विदेश
vote - Yes	vote - NO	vote - NO

→ इनको भारत में आने निवास करने इत्यादि अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिकता संशोधन 2015 के माध्यम से P.I.O और O.C.I को मिला एक कर दिया गया वर्तमान में सिर्फ O.C.I श्रेणी है।

NOTE :-

अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होती है तो अवयस्क बच्चों की नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाती है और व्यस्क होने पर नागरिकता के लिए प्रयास कर सकते हैं

अनुच्छेद - 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होते हैं।

भाग-3 (Article - 12-35)

मौलिक अधिकार
Fundamental Rights

अधिकार :-

अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी जो की व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की गई है।

अधिकारों के प्रकार :-

प्राकृतिक अधिकार :-

- प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनो को प्रदान किए जाते हैं।
- प्राकृति अधिकारों का जनक जॉन लॉक है।
- इन अधिकारों में बोलने, सुनने, देखने इत्यादि आते हैं।

मानव अधिकार :-

→ मानव अधिकार विश्व के सभी मानवों को UNO के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान किए जाते है!

→ 10 Dec को मानव अधिकार दिवस मनाते है!

→ UNO के मानव अधिकार चार्टर मे 30 अनुच्छेद और 01 प्रस्तावना है!

मौलिक अधिकार :-

→ मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों और गैर - नागरिको को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते है!

→ ये नागरिको के मौलिक मूलभूत विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते है!

कानूनी अधिकार :-

कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते है इन अधिकारो की प्राप्ती के लिए ~~कानूनी~~ कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है अत: इनकी प्राप्ती के लिए सिधे Supreme Court और High Court नहीं जा सकते है!

विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास !

ब्रिट्रेन में मौलिक अधिकारों का इतिहास

→ ब्रिट्रेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ई० में सर्वप्रथम ब्रिट्रेन के लोगों को अधिकारों का लिखित दस्तावेज दिया जिसे मेगनाकार्टा कहते हैं!

→ मेगना का अर्थ है सर्वोच्च और कार्टा का अर्थ है दस्तावेज अतः यह मेगनाकार्टा मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है!

अमेरिका में मौलिक अधिकार का इतिहास

→ अमेरिका के संविधान में 04 March 1989 को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया मौलिक अधिकारों के अध्याय को Bill of Rights कहते हैं!

→ अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों के प्रावधान वाला विश्व का संविधान है!

फ्रांस में मौलिक अधिकार का इतिहास

→ फ्रांस में के संविधान में 26 Aug 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए।

→ इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। (Be charter of Rights for Citizens and men.)

भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास

→ 1895 में स्वाराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। (बाल गंगाधर तिलक)

→ 1925 में एनीबेसेंट के द्वारा कॉमन वेल्थ बिल ऑफ नेशन में मौलिक अधिकारों की माँग रखी।

→ 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की लिखित मांग की।

→ 1931 के कॉंग्रेस - कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग रखी

→ 1934 में सरकार की संयुक्त समिति ने मौलिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया।

→ 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं गया।

→ 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों का विभाजन दो भागों में कर दिया।

1. मौलिक अधिकार 2. नीति निदेशक तत्व (DPSP)

→ भारत की आजादी के बाद संविधान सभा में भारत के संविधान मौलिक अधिकारों का विस्तृत प्रावधान किया गया।

भाग - 3 (Article - 12-35)

मौलिक अधिकार
Fundamental Rights

→ भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।

→ संविधान के भाग-3 को मैगनाकार्टा कहते हैं।

→ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं।

Article - 12

→ राज्य की परिभाषा

→ भारत की सरकार की संसद

→ राज्य की सरकार का विधान मंडल

→ सभी स्थानीय प्राधिकारी

→ अन्य प्राधिकारी

* न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

अन्य प्राधिकारी :-

सोमप्रकाश बनाम भारत संघ (1981).
(Som Prakash Vs Union of India)

(i) सरकार की संसाधन (Resources)

(ii) सरकार की कार्यविधि से संचालित (Functions)

(iii) पूर्व इतिहास सरकार का है (History).

जैसे :-

→ सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalised Banks)

→ भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र (ICAR- Indian Council of Agricultural Research)

→ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR - Council for Scientific and Industrial Research)

→ भारतीय खाद्य निगम (IFC - Indian Food Corporation)

→ भारतीय इस्पात प्राधिकरण (ONGC- Oil and Natural Gas Commission)

→ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (IAA - International Airports Authority)

Article-13

इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो

Article-13(1)

संविधान से पूर्व की विधियाँ के बारे में प्रावधान !

जैसे :- IPC, CRPC इत्यादि !

Article-13(2)

संविधान के लागू होने के बाद की विधियाँ के बारे में प्रावधान !

Article-13(3)

विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ, रूढ़ियां और प्रथाएँ !

* पृथकरनीयता का सिद्धांत (Doctrain of Serrability)

यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सों को अवैध-घोषित किया जाएगा ! जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है! सम्पूर्ण विधि नही !

आच्छादंता का सिद्धांत (Doctrain of Eclipse)

संविधान से पूर्व की कोई विधि यदि मौलिक अधिकार के विरूद्ध है तो ऐसी विधि को मौलिक अधिकार आच्छादित कर लेते हैं।

Article - 13 (4)

इस अनुच्छेद को 24वें संविधान संसोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया!

- शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार (1951) के केस में supreme court ने संविधान संसोधन को विधि की परिभाषा नहीं माना!
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान (1965) संविधान संसोधन को विधि की परिभाषा को नहीं माना!
- गोलकनाथ वाद (1967) संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना!
- सरकार 24वें संविधान संशोधन 1971 किया और अनुच्छेद - 13(4) जोड़ दिया जिसमें संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना!

→ 1973 के केशवानंद भारती वाद / केस में supreme court ने संविधान संशोधन की विधि नहीं माना परन्तु मूलभूत ढाँचे का सिद्धांत पेश किया।

→ अतः संसद सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से मूल-भूत ढाँचे को प्रभावित नहीं कर सकती है।

Article अनुच्छेद	Topic
14-18	समानता का अधिकार
19-22	स्वतंत्रता का अधिकार
23-24	शोषण के विरुद्ध
25-28	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
29-30	शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार (Article - 14-18)

Article - 14

अनुच्छेद - 14 में दो प्रावधान हैं।

1. विधि के समक्ष समानता
2. विधियों का समान संरक्षण

विधि के समक्ष समानता

→ इस सिद्धांत को ब्रिटेन से लिया गया है।

→ विधियाँ सभी के लिए समान हैं।

→ यह ए० वी० डायसी का सिद्धांत है।

→ यह एक नकारात्मक सिद्धांत है।

विधियों का समान संरक्षण

→ इस सिद्धांत को अमेरिका से लिया गया है

→ ये परिस्थिति के अनुसार न्याय का सिद्धांत देता है।

→ यह सकारात्मक भेद का सिद्धांत देता है।

→ यह एक धनात्मक सिद्धांत है।

NOTE :-

मौलिक अधिकार की संकल्पना पूर्ण न होकर सहसंबंधित है।

विधि के समक्ष समानता के अपवाद

→ राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता (Art-361)

→ दिवानी मामले मे दो महिने का नोटिस देना आवश्यक है (अनुच्छेद -361)

→ राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय के प्रत्येक न्यायलय में कोई जबाब देह नहीं है

संसद के सदस्यों संसद में कही गई किसी बात के लिए न्यायलय मे जवाब देह नहीं है (अनुच्छेद-105)

→ राज्य विधान मंडल के सदस्य विधान मंडल मे कही गई किसी बात के लिए न्यायलय में जवाब देह नहीं होगें। (A अनुच्छेद - 194)

→ अनुच्छेद - 14 का उल्लंघन नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद - 39(B) और 39(C) को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

→ वियाना समझौता 1961 के तहत कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है जिसके तहत कूटनीतिज्ञ के खिलाफ किसी कानूनी फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

Article - 15(1)

राज्य किसी नागरिक के साथ जाति (caste), धर्म (Religion), लिंग (Gender), जन्मस्थान (Place of birth), मूलवंश (Descent), कोई भेद-भाव नहीं करेगा !

Article - 15(2)

→ राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इन मे से आधार पर भेदभाव नहीं करेगा !

→ दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश में भेदभाव नहीं !

→ पूर्णतः या अंशतः राज्यनीधि से पोषित ! कुओं तालाबों सार्वजनिक समागम के स्थानो के उपयोग मे भेद-भाव नहीं !

Article - 15(3)

अपवाद :-

राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता हैं

जैसे:-
→ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
→ घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005
→ महिला आयोग 1992

चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य (1951)

→ राज्य के सांप्रदायिक (कम्युनल ऑर्डर) के खिलाफ चंपकम दोराई राजन ने Supreme Court में केस/वाद किया जिसमें अनुच्छेद - 15(1), 29 को आदेश के उल्लंघन का हवाला दिया राज्य अनुच्छेद - 46 का हवाला दिया। Supreme Court ने राज्य के आरक्षण को गलत साबित किया !

→ राज्य ने इसके विरूद्ध प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद - 15 (4) जोड़ा !

Article - 15(4)

→ राज्य SC/ST, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है !

→ शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।

Article - 15(5)

→ 93 वें संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया

→ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में (IIT, IIM, AIIMS) इत्यादि में SC/ST और SEBC (Social Educationally Backward caste) के लिए आरक्षण का प्रावधान !

Article - 15 (6)

→ संविधान के 103 वे संविधान संशोधन 2019 के माध्यम् से जोड़ा गया !

→ आर्थिक रूप से पिछड़े समान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान !

Article - 16 (1)

[लोक नियोजन में समानता
Equality in Public Employment]

→ राज्य के अधिन किसी रोजगार में अवसर की समानता

* नियुक्ति
* नियोजन

Article - 16 (2)

→ राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, उद्भव और निवास के स्थान पर राज्य किसी भी नागरिक भेद-भाव नहीं करेगा !

Article - 16 (3)

[अपवाद]

→ संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेद-भाव कर सकता है!

जैसे :- हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा आंध्रप्रदेश इत्यादि!

→ 371 (D) में आंध्र प्रदेश के लोगो के लिए विशेष प्रावधान (निवास के आधार पर)!

Article - 16 (4)

→ राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व (Representation) पर्याप्त नहीं है विशेष प्रावधान कर सकता है

→ अनुच्छेद - 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है जो कि पिछड़ी जातियों के बारे में पहचान करता है

→ अनुच्छेद - 340 के तहत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका - कालेलकर आयोग - 1953 में गठन किया गया

→ 1955 में इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी इसकी रिपोर्ट पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं किया

→ 1979 में B.P. मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़ा कहा।
(सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर)

→ B.P. मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में B.P. Singh की सरकार में लागू किया जिसमें OBC को 27% का आरक्षण प्रदान किया।

इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992)

→ इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाद केस में (एच. एम. कनिया) 09 जजों की बेंच बनी जिसमें।

Judgement :-

→ इसमें OBC आरक्षण को वैध कहा।
→ सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण को अवैध कहा।
→ प्रोन्नति (Promotion) में आरक्षण नहीं मिलेगा।
→ क्रीमीलेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा।
→ 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा।